



पत्रांक : SHSB/GA/1119/2014/.....

दिलाक-

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार

विषय : सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं का दृढ़ता एवं प्रभावी अनुपालन कराने के संबंध में ।

महाशय,

विश्व में तम्बाकू का उपयोग विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में बढ़ रहा है । साथ ही वर्तमान एवं भविष्य की आबादी के स्वास्थ्य के लिए बढ़ती चिंता का कारण भी है । तम्बाकू का उपयोग मृत्यु के प्रमुख 8 कारणों में से 6 के लिए उत्तरदायी कारक है। प्रतिवर्ष भारत में तम्बाकू सेवन से लगभग 10 लाख लोगो की मृत्यु हो जाती है । अच्छी बात ये है कि तम्बाकू के कारण होने वाले बीमारियों एवं मृत्यु को इसके सेवन के दुष्परिणामों से अवगत कशकर नियंत्रित किया जा सकता है । भारत में 35 प्रतिशत वयस्क (48 प्रतिशत पुरुष एवं 20 प्रतिशत महिला) तम्बाकू का सेवन करते हैं।

2. बिहार में 54 प्रतिशत लोग (66 प्रतिशत पुरुष एवं 40 प्रतिशत महिला) तम्बाकू का सेवन किसी ना किसी रूप से करते हैं । जिसमें 5 प्रतिशत लोग धूम्रपान, 49 प्रतिशत सुंघने, चबाने या लगाने वाले तम्बाकू और 10 प्रतिशत लोग उक्त दोनों का सेवन करते हैं। वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण (GATS India 2009-10) के अनुसार बिहार में धूम्रपान करने वाले हर महीने सिगरेट पर औसतन 230 रुपये तथा बीड़ी पर 43 रुपये खर्च करते हैं ।

3. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है, जो निम्नलिखित हैं:-

अधिनियम की संबंधित धारा	नियम	दण्ड (जुर्माना, कारावास या दोनों)
धारा-4	सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध	(क) व्यक्तिगत अपराधी के लिए: ₹ 200/- तक (ख) स्वामी, प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के लिए: सार्वजनिक स्थानों में अपराधों की संख्या के बराबर जुर्माना
धारा-5	सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध	(क) पहला अपराध: 2 वर्ष / ₹ 1,000/- (ख) दुसरा अपराध: 5 वर्ष / ₹ 5,000/-
धारा-6	नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थाओं के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की विक्री पर प्रतिबंध	₹ 200/- तक

धारा- 7, 8 एवं 9	बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध	(क) विनिर्माता: पहला अपराध : 2 वर्ष/₹ 5,000/- दूसरा अपराध : 5 वर्ष/₹ 10,000/- (ख) बिक्री/खुदरा बिक्री: पहला अपराध : 1 वर्ष/₹ 1,000/- दूसरा अपराध : 2 वर्ष/₹ 3,000/-
---------------------	---	--

4. प्रत्येक जिले में उक्त अधिनियम का अनुपालन कठोरता से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। दण्ड का प्रावधान सख्ती से लागू करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से चालान भी सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

5. स्वास्थ्य एवं गृह/पुलिस विभाग द्वारा पूर्व में निदेश दिया गया था कि जिला, अनुमंडल तथा प्रखण्ड स्तर पर छापामार दस्ता (Anti-Tobacco Squad) का गठन कर C.O.T.P.A-2003 का प्रभावी अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। जिन जिलों में अब तक छापामार दस्ता का गठन नहीं हुआ है, वहाँ अतिशीघ्र इसे गठित कर C.O.T.P.A-2003 का दृढ़ता से अनुपालन करायें।

6. तंबाकू के दुष्परिणाम एवं C.O.T.P.A-2003 के प्रभावी अनुपालन हेतु ग्रामीण स्तर तक विभिन्न माध्यमों यथा पोस्टर, बैनर्स, दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो, टी०वी० में प्रसारण, नुककड़ नाटक इत्यादि के द्वारा वृहत रूप से प्रचार-प्रसार कराया जाये।

7. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, में वर्णित उपरोक्त धाराओं का सख्ती से अनुपालन करायें। जिला स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षात्मक बैठक में प्रत्येक माह कृत कार्रवाई की समीक्षा की जाये। प्रत्येक माह कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को भी उपलब्ध करायें। साथ ही विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं पर 200 रु० तक जुर्माना/दण्ड लगाते हुये संकलित प्रतिवेदन प्रारूप B में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करायें।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अंजनी कुमार सिंह)

ज्ञापांक : 6640

पटना, दिनांक : 13/08/2014

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक/शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/8/14
(अंजनी कुमार सिंह)